

अध्याय 11

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल हैं

[धारा 4 (1) (बी) (xi)]

प्रत्येक प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करें

बजट

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 तक का बजटीय विवरण

(राशि लाखों में)

वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
बजट आवंटन #	ठ यय	बजट आवंटन #	ठ यय	बजट आवंटन	ठ यय*
482876.27	472193.48	495304.20	490741.10	489587.40	43843.50

*(ठ यय 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹. 856.41 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान कराया गया एवं बीसीओ कोड 2003 से ₹. 292.15 करोड़ का पुनर्विनियोजन कराया गया, जो बजट प्रावधान में सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान राजस्व मद में ₹. 160.6444 करोड़ स्टार्स परियोजना में राजस्व मद में ₹. 36.1870 करोड़ एवं पूंजीगत मद में ₹. 4.1850 करोड़ का पुनर्विनियोजन कराया गया जो बजट प्रावधान में सम्मिलित है।

भाग-दो

बजट

राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक का बजट एवं व्यय

(आंकड़े लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय *
(अ)-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं							
1	समग्र शिक्षा अभियान(5330)	395015.99	393418.82	381864.42	381864.30	365799.92	0.00
2	समग्र शिक्षा अभियान(पूँजीगत) (5330)	34021.56	34021.56	33499.98	33499.97	25000.00	0.00
3	रू टार्स परियोजना (राज रू व) (9675)	0.01	0.00	4618.71	4547.92	4100.00	0.00
4	रू टार्स परियोजना (पूँजीगत) (9675)	नवीन योजना		2007.50	1687.83	5000.00	0.00
5	नव भारत साक्षरता अभियान (7657)	741.00	0.00	741.00	741.00	1734.00	0.00
6	शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा (9678) (नई योजना)	नवीन योजना				0.06	0.00
		429778.56	427440.37	422731.61	422341.02	401633.98	0.00

योग (अ)							
*(व यय 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)							
(ब)- राज्य बजट से संचालित कार्यक्रम/योजनाएं							
1	निःशुल्क गणवेश (6716)	6800.00	6800.00	6000.00	6000.00	6000.00	3840.00
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	629.00	0.00	111.23	0.00	629.00	0.00
3	आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	27300.00	27300.00	50000.00	50000.00	40000.00	29900.00
4	कक्षा 6-8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय (7618)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
5	वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन (1233)	60.00	0.00	60.00	0.00	0.01	0.00
6	प्राथमिक स्तर पर मानिट्रिंग हेतु निधि (7478)	1.00	0.00	0.01	0.00	200.00	128.00
7	एकेडेशन ऑफ स्कूल (7485)	0.01	0.00	0.01	0.00	200.00	0.00
8	ई-गवर्नेन्स (6735)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
9	शालाओं में अकादमिक मूल्यांकन (7616)	100.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

10	राजाराम मोहन राय लायब्रेरी (2071)	80.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण एवं आवास व्यवस्था (7734)	0.01	0.00	495.87	0.00	1100.00	488.00
12	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068)	3478.44	0.00	2081.50	1283.19	2500.00	0.00
13	स्काउट एवं गाईड की गतिविधियाँ (0729)	135.00	0.00	111.18	0.00	126.60	81.02
14	माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर (0730)	110.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
15	शोध एवं मूल्यांकन (0739)	150.00	73.79	165.42	165.42	150.00	30.29
16	छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658)	1000.00	169.14	500.00	97.04	500.00	0.00
17	प्रखर योजना (7661)	नवीन योजना		0.03	0.00	400.00	0.00
18	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण (9545) (नई योजना)	नवीन योजना				15686.00	0.00

19	समरसता छात्रावास (9562) (नई योजना)	नवीन योजना				5000.00	0.00
	योग (ब)	39843.48	34342.93	59525.32	57545.65	72491.63	34467.31
	योग (अ+ब)	469622.04	461783.31	482256.93	479886.67	474125.61	34467.31
*(ट यय 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)							
(स) बजट म०प्र० राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्							

(आकड़ें लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
		बजट आवंटन	ट यय	बजट आवंटन	ट यय	बजट आवंटन	ट यय*
1	1502- डाइट्स (Plan)	8458.57	6478.66	7957.86	6662.20	9473.12	5892.70
2	5788- पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान -जबलपुर (Non Plan)	111.22	100.48	119.46	102.04	131.16	78.53
3	3668 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर (Non Plan)	401.47	313.15	429.08	350.43	467.12	330.61
4	3694 राज्य शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा भोपाल (P/NP)	1471.85	1148.97	1571.29	1294.46	1699.31	1020.82
5	0067 आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान - भोपाल (P/NP)	143.82	121.91	152.49	122.34	166.18	111.85
6	4402 सरकारी शिक्षा महाविद्यालय (P/NP)	2167.30	1900.48	2317.08	1980.90	2524.89	1864.31
		500.00	346.52	500.00	342.06	1000.00	77.37

7	5481 वृहद निर्माण कार्य (State Plan)						
8	7617 - पीएसएम परिसर जबलपुर (State Plan)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	योग (स)	13254.23	10410.17	13047.27	10854.43	15461.79	9376.19
	महायोग (अ+ब+स)	482876.27	472193.48	495304.20	490741.10	489587.40	43843.50

(ठ यय 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

प्रौढ़ शिक्षा विभाग संबंधी जानकारी

वर्ष 2020-21 प्रौढ़ शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कोई योजना संचालित नहीं रही।

वर्ष 2021-22 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 01 वर्ष के लिए “पढ़ना लिखना अभियान” संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को बुनियादी शिक्षा प्रदान किए जाने का उद्देश्य रखा गया।

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल बजट	ठ यय
2021-22	320000	688617	7.41 करोड़	3.60 करोड़

वर्ष 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए रखे गए प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 2027 तक “नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को निम्नानुसार उद्देश्य के अनुसार साक्षर किया जाना है-

- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (पठन, लेखन और संख्यात्मकता) प्रदान करना।
- महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना।

- बुनियादी शिक्षा प्रदान करना।
- ट यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- सतत् शिक्षा प्रदान करना।

नोट – कार्यक्रम के संबंध में भौतिक लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण प्रक्रियाधीन हैं।

सिविल
लोक सूचना की जानकारी निर्माण कक्ष (बजट)

S. No	Component	Year 2020-21	Sanction Amount (Lakhs)	Year 2021-22	Sanction Amount (Lakhs)	Year 2022-23	Sanction Amount (Lakhs)
1	Add. Room	0	0	22	174.46	0	0
2	Dilapidated PS Building	60	990.00	19	313.5	165	4469.85
3	Dilapidated MS Building	16	344.00	27	580.5	90	3250.8
4	Girls Toilet	0	0.00	0	0	603	1676.34
5	Boys Toilet	0	0.00	0	0	544	1593.92
6	Electrification	3164	696.08	267	58.74	0	0
7	Furniture	1840	4416.00	0	0	93782	6189.612
8	Hand Wash Unit	14399	2159.85	439	65.85	0	0
9	Major Repair	324	175.84	0	0	850	1062.5
	Total		8781.77		1193.05		18243.022

बजट अनुमान 2023-24 में प्रस्तुत योजनाओं की जानकारी

(ख) बजट नियंत्रण अधिकारी- आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल (बीसीओ-2004)

क) विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा केन्द्र)

योजना का नाम व क्रमांक	योजना का स्वरूप (राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय)	योजना में हिस्सेजदारी (प्रतिशत में)		मंत्री परिषद से निरंतरता	योजना का उद्देश्य, पृष्ठभूमि मापदण्ड आदि की जानकारी दें।	वित्तीय लक्ष्य (कुल बजट)	वित्तीय उपलब्धि (आहरण)	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	टिप्पणी	वित्तीय लक्ष्य (कुल बजट)	वित्तीय उपलब्धि (आहरण)	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	टिप्पणी	वित्तीय लक्ष्य (कुल बजट)	वित्तीय उपलब्धि (आहरण)	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	टिप्पणी	योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हों तो समस्त परियोजनाओं की जानकारी दें (जिनके वित्तीय दिनांक 30.11.22 हैं)	योजनांतर्गत कुल व्ययित दायित्व (संभावित) की जानकारी दें (31.03.2022 की स्थिति में)	अन्य टिप्पणी
		केन्द्र	राज्य			2020-21 (राशि लाख में)	2021-22 (राशि लाख में)	2022-23 (राशि लाख में) (31.10.2022 तक)					7	8	9								
1	2	3	4	5																			
समय शिक्षा अभियान (5330) (राजस्व)	केन्द्र प्रवर्तित	60	40	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	श्री स्कूल से कक्षावार 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि करना। शाला शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक भेद को कम करना। शाला शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशन सुनिश्चित करना। शाला शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना। शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार; आरटीई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता देना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी राज्य शिक्षा	395015.99	393418.82	8737297	8737297	-	381864.42	381864.30	9244204	-	365799.92	0.00	9244204	&	-	निरंक		भारत सरकार से केन्द्रांश अनुरूप राज्यांश सहित राशिका आहरण	

					संस्थान और डाइट को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढीकरण और उन्नयन करना है। सार्वभौमिक पहुंचए समता और गुणवत्ताए शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ करने के रूप में इस योजना के मुख्य परिणामों के रूप में विचार किया गया है।															
आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	राज्य पोषित	&	100	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में प्रवेश के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार पड़ोस स्थित गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में और यदि स्कूल में प्रो-स्कूल की शिक्षा दी जाती है तो इनमें न्यूनतम 25 प्रतिषत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।	27300.00	27300.00							4000.00	0.00				निरंक	&
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	राज्य पोषित	&	100	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय शालाओं पंजीकृत मदरसे, स्थानीय निकाये द्वारा संचालित शालाओं में छात्रों की नियमित उपस्थिति अध्ययन एवं अध्यापन हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस व्यवस्था से छात्रों को सत्र के पूर्व में ही पाठ्य सामग्री प्रदाय हो जाती है। जिससे उनका अध्ययन अध्यापन कार्य वाधित नहीं होता है।	629.00	0.00							629.00	0.00				निरंक	&
शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान एवं मूल्यांकन (0739)	राज्य पोषित	&	100	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन हेतु बाह्य एवं आंतरिक संस्थाओं द्वारा शोध कार्य। शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष व सुझावों के आधार पर संचालित योजनाओं में आवश्यकतानुसार सुधार करना। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक	150.00	73.79							150.00	30.29					&

6	शालाओं में अकादमिक मूल्यांकन (7616)	राज्य पोषित		पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	<p>कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी क्रियान्वयन करना।</p> <p>सम्पूर्ण प्रदेश में सिखने के स्तरों का मापन एवं इसके आधार पर फिडबैक देना।</p> <p>गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाले सूचकांकों का चिन्हांकन करना।</p> <p>सिखने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार हेतु योजना एवं मापदंडों का निर्धारण करना।</p> <p>गुणवत्ता युक्त शिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रेरित कर उनके अध्यापन कौशल का विकास करना।</p> <p>5वीं एवं 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर परीक्षा करना।</p>																		निरंक			
7	प्राथमिक स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु निधि (7478)	राज्य पोषित	&	100	<p>पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)</p> <p>SSA तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर नियमित मासिक क्षेत्र भ्रमण सुनिश्चित करना। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से शालाओं के मासिक भ्रमण का लक्ष्य दे दिया गया है। क्षेत्र भ्रमण आधारित मॉनिटरिंग के तीन उद्देश्य हैं :</p> <p>1 प्रारूपों पर प्राप्त सूचनाओं की प्रामाणिकता को परखना।</p> <p>2 स्वस्थानीय प्रशिक्षण के रूप में शिक्षकों को मौके पर सहायता एवं मार्गदर्शन देना।</p> <p>3 उन समस्याओं को हल करने के लिए षड्भ से समन्वय करना जो कि शाला के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।</p> <p>शालाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये क्षेत्र आधारित मॉनिटरिंग सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग साधन है। एक सघन मॉनिटरिंग योजना बनाई गई है तथा पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया है। इससे शाला पर्यवेक्षण की प्रतिपूर्ति (फालोअप) सुनिश्चित होती है साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर शाला की गुणवत्ता की क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि शाला भ्रमण पूरे दिन का होगा</p>	1.00	0.00	-	-	-	0.01	0.00	-	-	-	-	200.00	0.00	-	-	-	-	-	निरंक	&	

12	नव भारत साक्षरता अभियान (7657)	केंद्र प्रवर्तित	60	40	प्राप्त	नव साक्षरता योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार से 60:40 के अनुपात में फंड प्राप्त होगा। प्रौढ़ शिक्षा पर अधारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियान्वयन किया जा रहा है।	741.00	0.00	-	-	-	741.00	741.00	-	-	-	1734.00	0.00	-	-	-	निरंक	&	
13	समय शिक्षा अभियान (5330) (पूँजीगत)	केंद्र प्रवर्तित	60	40	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	श्री स्कूल से कक्षावार 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि करना, शाला शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक भेद को कम करना, शाला शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशन सुनिश्चित करना, शाला शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता देना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी / राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढीकरण और उन्नयन करना है। सार्वभौमिक पहुंच, समता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ करने के रूप में इस योजना के मुख्य परिणामों के रूप में विचार किया गया है।	34021.56	34021.56	-	-	-	33499.98	33499.97	-	-	-	2500.00	0.00	-	-	-	निरंक	&	भारत सरकार से केन्द्रांश अनुरूप राज्यांश सहित राशि का आहरण
14	प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068)	राज्य पोषित	&	100	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिये पेयजल, विद्युत एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर बच्चों को सुरक्षित भवनों में अध्यापन कार्य कराए जाने हेतु।	3478.44	0.00	-	-	-	2081.50	1283.19	-	-	-	2500.00	0.00	-	-	-	निरंक	&	
15	छात्रावास भवन निर्माण एवं अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (5658)	राज्य पोषित	60	40	पूर्व से स्वीकृत (31 मार्च 2023 तक निरंतरता प्राप्त)	यह पूँजीगत मद की योजना है जिसमें छात्रावास भवनों का मरम्मत एवं रेनोवेशन का कार्य कराया जाता है जिससे अध्ययनरत छात्रों को उक्त सुविधा का लाभ प्रदाय किया जा सके	1000.00	169.14	130	40	-	500.00	97.04	130	25	-	500.00	0.00	-	-	-	निरंक	&	
			60	40			0.00	0.00	-	-	-	2007.50	1687.83	-	-	-	5000	0.00	-	-	-	&		

					रूचि के अनुसार विशेष एवं अतिरिक्त संसाधनों के साथ-साथ प्रतिभा के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा चिहनांकन 'प्रखर योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रतिभाओं का चिहनांकन, प्रतिभा का विकास, शिक्षकों का उन्मुखीकरण, बहुमुखी प्रतिभाओं के लिए अतिरिक्त/अधिक अवसर, आईसीटी आधारित कार्यक्रम आदि कार्य किए जा रहे हैं।																
22	श्री प्रायमरी बच्चों के लिए मध्याह्न योजना (नवीन योजना)	राज्य पोषित		100	श्री प्रायमरी में अध्ययनरत बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन हेतु नवीन योजना प्रस्तावित की गई है।	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-	675.00	0.00	-	-	-	निरंक	&

वित्तीय वर्ष 2022 के लिए राज्य शासन से प्राप्त आबंटन में से निम्नानुसार अधीनस्थ आबंटित की गई-

क्र.	संस्था का नाम	
1	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल	40624672
2	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर	21941555
3	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर	25352155
4	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, देवास	8522872
5	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन	22957660
6	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर	36334643
7	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा	20438897

8	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, खण्डवा	16059483
9	शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर	12449257
10	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	74334495
11	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल	9991858
12	शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर	13116000
13	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर	46712000

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

क्र.	संस्था का नाम	
1	डाईट, भोपाल	26710030
2	डाईट, विदिशा	22343989
3	डाईट, सीहोर	12649438
4	डाईट, रायसेन	9587655
5	डाईट, पचमढ़ी होष.	8149766
6	डाईट, राजगढ़ ब्यावरा	14259633
7	डाईट, जबलपुर	21518566
8	डाईट, केवलारी सिवनी	8445026
9	डाईट, नरसिंहपुर	13645046
10	डाईट, मंडला	13806970
11	डाईट, बालाघाट	14601564
12	डाईट, छिन्दवाडा	15638896
13	डाईट, सागर	23508093
14	डाईट, पन्ना	14346503

15	डाईट, नौगाँव, छतरपुर	13949176
16	डाईट, कुण्डेश्वर टीकमगढ़	12271114
17	डाईट, हटा, दमोह	14230020
18	डाईट, मंदसौर	12822844
19	डाईट, उज्जैन	20153415
20	डाईट, पिपलौदा, रतलाम	8535931
21	डाईट, शाजापुर	10569972
22	डाईट, ग्वालियर	19630531
23	डाईट, बजरंगढ़, गुना	12696856
24	डाईट, दतिया	7777528
25	डाईट, शिवपुरी	16170691
26	डाईट, मुरैना	16752155
27	डाईट, भिण्ड	16434728
28	डाईट, रीवा	23956446
29	डाईट, शहडोल	17175836
30	डाईट, सतना	21627580
31	डाईट, सीधी	13450910
32	डाईट, देवास	9228766
33	डाईट, अलिराजपुर	11009931
34	डाईट, धार	10161575
35	डाईट, बीजलपुर, इन्दौर	27640098
36	डाईट, खंडवा	20200854

37	डाईट, खरगोन	15616676
38	डाईट, प्रभातपट्टन, बैतूल	5565014
39	डाईट, कटनी	13868894
40	डाईट, डिण्डौरी	5574309
41	डाईट, हरदा	6416781
42	डाईट, नीमच	7593455
43	डाईट, बडवानी	6629443
44	डाईट, उमरिया	3235025
45	डाईट, श्योपुर	2738226